



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E-Mail : eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (O)

पत्रांक 410 / 250

दिनांक 08 / 03 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत
हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं0 27119/2014)

सन्दर्भ:- आपके के कार्यालय पत्रांक सं0 83/12-7-2 बागेश्वर दिनांक 07.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल किसी अन्य प्रस्ताव के साथ Overlap हो रही थी जिस कारण प्रस्ताव आपत्तियों में प्राप्त हुआ था।

अतः उक्त प्रस्ताव हेतु विजोरीझाल सिविल हेतु 2.519 है0 भूमि के सापेक्ष दोगुनी भूमि 5.038 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण कर पुनः डिजिटल मैप, जियोरिफरेश मैप एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का आगणन ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है। अतः उक्त प्रस्ताव को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E-Mail : eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (O)

दिनांक 10/03/2021

पत्रांक 434/2ई०

सेवा में,

नोडल अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय वन विभाग,
उत्तराखण्ड इन्दिरा नगर देहरादून

विषय:- जंगपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं० 27119/2014)

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सं० 83/12-7-2 दिनांक 07.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का जियोरिकरेश मैप, टोपों सीट मैप एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के आगणन की मूल हार्डकापी 2 प्रतियों में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

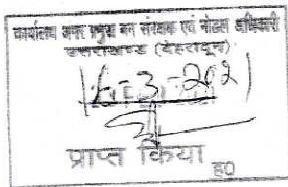
पत्रांक - 434/2ई०

दि० 10/3/2021

भवदीय
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

प्रतिलिपि:-

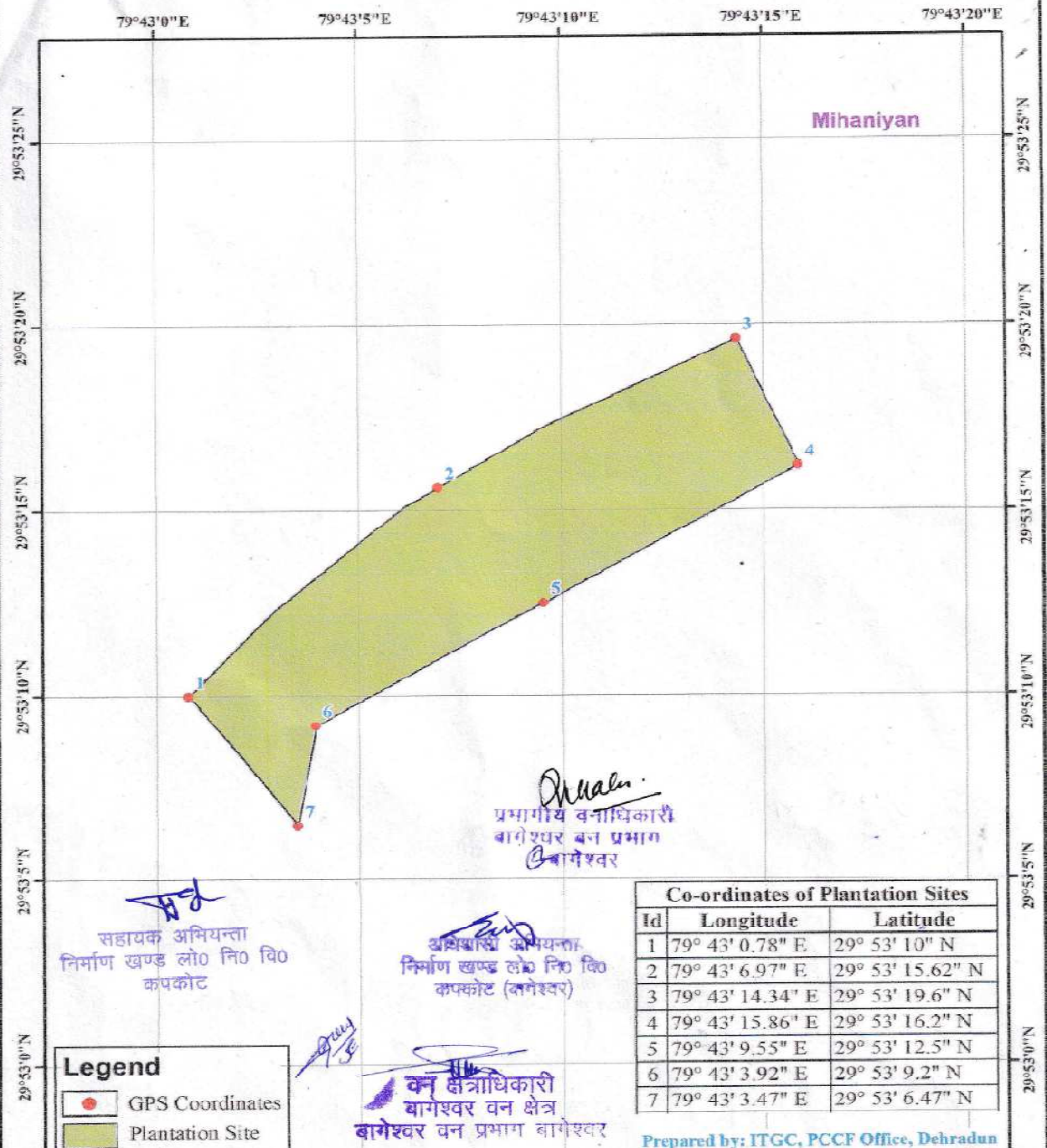
1. प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वनभूमि सहायक को कार्यालय रिकार्ड हेतु प्रेषित।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

जियोरेफेरेंस मैप-जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अंतर्गत हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल (कुल क्षेत्रफल 5.038 है०)

0 0.050.1 0.2 0.3 0.4 Km
1:4,000



टल मैप :जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अंतर्गत हरसीला N
से सीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल
(कुल क्षेत्रफल 5.038 है0)

0 0.25 0.5 1 1.5 2 km

Scale:1:50,000

SOI Toposheet No: 53 O/09



Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Division Boundary

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

[Signature]
अभिधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
कपकोट वन प्रभाग बागेश्वर

[Signature]
प्रमाणित वन अधिकारी

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण कार्य मे प्रभावित होने वाली 2.519 है० वन भूमि के सापेक्ष 5.038 है० क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य का प्रस्ताव।

1-पौधारोपण स्थल का नाम- बिजोरीझाल सिविल

2-रोपित किये जान वाले पौधों की सं०-1१०० पौध प्रति है०।

3-रोपित किये जाने वाली पौधों की प्रजाति-बांज,फल्यांट,तेजपात,आदि

1	2	3	4	5	6
	प्रथम वर्ष (अग्रिम मृदा कार्य)				
1	सर्वे व सीमांकन	1	है०	113.52	113.52
2	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)	1600	पौध	6.85	10960.00
3	स्थल सफाई कार्य /लैन्टाना झाड़ी कटान कार्य	1	है०	6608.68	6608.68
4	घेरबाड़ कार्य (84 घ०मी० प्रति है०)	84	घमी०	396.73	33325.32
5	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1600	गडडे	8.57	13712.00
6	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य	1	है०	567	567.00
7	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है०	9059	9059.00
8	अन्य व्यय	1	है०	400	400.00
	योग प्रथम वर्ष:-				74745.52
	या:-			SAY	74700.00
	द्वितीय वर्ष (वृक्षारोपण कार्य)				
1	पौधों का मूल्य (द्वितीय वर्ष)	1600	पौध	1.34	2144.00
2	गडडा भरान कार्य	1600	गडडे	1.34	2144.00
3	पौध डुलान कार्य सिरबोझ व वाहन द्वारा	1600	पौध	7.48	11968.00
4	पौध रोपण व धावलाबन्दी	1600	पौध	2.41	3856.00
5	निराई गुराई प्रथम बार	1600	पौध	0.88	1408.00
6	निराई गुराई द्वितीय बार	1600	पौध	0.88	1408.00
7	रासायनिक दवा व मल्ट्रिंग	1600	पौध	0.25	400.00
8	अनुरक्षण कार्य 8 माह का	1	है०	5574	5574.00
9	वृक्षारोपण के अन्दर ज्वलनशीन पदार्थ को हटाना	1	है०	350	350.00
10	वृक्षारोपण के बाहर 4 मी०पट्टी में ज्वलनशीन पदार्थ को	1	है०	227	227.00
11	ग्रामीणों को प्रशिक्षण व प्रोत्साहन कार्य	1	है०	400	400.00
12	अन्य व्यय	1	है०	700	700.00
	योग- द्वितीय वर्ष				30579.00
	या:-			SAY	30500.00
	रोपण के बाद प्रथम वर्ष				
1	5 प्रतिशत क्षतिपूरक कार्य	80	पौध	18.04	1443.20
2	सामान्य व लैटाना झाड़ी कटान कार्य	1	है०	5423	5423.00
2	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है०	8237	8237.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	975	975.00
4	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है०	9059	9059.00
	योग- रोपण के प्रथम वर्ष का				25137.20

	या-:			SAY	25100.00
	रोपण के बाद द्वितीय वर्ष				
1	5 प्रतिशत क्षतिपूरक कार्य	80	पौध	18.04	1443.20
2	सामान्य व लैटाना झाड़ी कटान कार्य	1	है0	5423	5423.00
2	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	8237	8237.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	975	975.00
4	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	9059	9059.00
	योग- रोपण के द्वितीय वर्ष का				25137.20
	या-:			SAY	25100.00
	रोपण के बाद तृतीय वर्ष				
1	5 प्रतिशत क्षतिपूरक कार्य	80	पौध	18.04	1443.20
2	सामान्य व लैटाना झाड़ी कटान कार्य	1	है0	5423	5423.00
2	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	8237	8237.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	975	975.00
4	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	9059	9059.00
	योग- रोपण के तृतीय वर्ष का				25137.20
	या-:			SAY	25100.00
	रोपण के बाद चतुर्थ वर्ष				
1	5 प्रतिशत क्षतिपूरक कार्य	80	पौध	18.04	1443.20
2	सामान्य व लैटाना झाड़ी कटान कार्य	1	है0	5423	5423.00
2	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	8237	8237.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	975	975.00
4	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	9059	9059.00
	योग- रोपण के चतुर्थ वर्ष का				25137.20
	या-:			SAY	25100.00
	रोपण के बाद पंचम वर्ष				
1	5 प्रतिशत क्षतिपूरक कार्य	80	पौध	18.04	1443.20
2	सामान्य व लैटाना झाड़ी कटान कार्य	1	है0	5423	5423.00
2	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	8237	8237.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	975	975.00
4	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	9059	9059.00
	योग- रोपण के पंचम वर्ष का				25137.20
	या-:			SAY	25100.00
	रोपण के बाद षष्ठम वर्ष				
1	5 प्रतिशत क्षतिपूरक कार्य	80	पौध	18.04	1443.20
2	सामान्य व लैटाना झाड़ी कटान कार्य	1	है0	5423	5423.00
2	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	8237	8237.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	975	975.00
4	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	9059	9059.00
	योग- रोपण के षष्ठम वर्ष का				25137.20
	या-:			SAY	25100.00

	रोपण के बाद सप्तम वर्ष				
1	5 प्रतिशत क्षतिपूरक कार्य	80	पौध	18.04	1443.20
2	सामान्य व लैटाना झाड़ी कटान कार्य	1	है0	5423	5423.00
2	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	8237	8237.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	975	975.00
4	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	9059	9059.00
	योग- रोपण के सप्तम वर्ष का				25137.20
	या-:			SAY	25100.00
	रोपण के बाद अष्टम वर्ष				
1	5 प्रतिशत क्षतिपूरक कार्य	80	पौध	18.04	1443.20
2	सामान्य व लैटाना झाड़ी कटान कार्य	1	है0	5423	5423.00
2	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	8237	8237.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	975	975.00
4	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	9059	9059.00
	योग- रोपण के अष्टम वर्ष का				25137.20
	या-:			SAY	25100.00
	रोपण के बाद नवम वर्ष				
1	5 प्रतिशत क्षतिपूरक कार्य	80	पौध	18.04	1443.20
2	सामान्य व लैटाना झाड़ी कटान कार्य	1	है0	5423	5423.00
2	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	8237	8237.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	975	975.00
4	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	9059	9059.00
	योग- रोपण के नवम वर्ष का				25137.20
	या-:			SAY	25100.00
	रोपण के बाद दशम वर्ष				
1	5 प्रतिशत क्षतिपूरक कार्य	80	पौध	18.04	1443.20
2	सामान्य व लैटाना झाड़ी कटान कार्य	1	है0	5423	5423.00
2	12 माह का अनुरक्षण कार्य	1	है0	8237	8237.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	975	975.00
4	भूमि व जल संरक्षण कार्य	1	है0	9059	9059.00
	योग- रोपण के दशम वर्ष का				25137.20
	या-:			SAY	25100.00
	प्रति है0 रेट (कुल योग-:)				356200.00

1-प्रति है0 व्यय धनराशि-: 356200.00

2-परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल-2.519 है0

3-दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल-2.519x2=5.038

4-दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि-5.038 x356200=1794536

Mayank Kumar
वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र बागेश्वर

Anand
प्रभागिय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

1.10(B)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:— जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 2.519 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 5.038 है० भूमि ग्राम बिजोरियाझाल की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)उ बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है ग्राम बिजोरियाझाल की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में सहमत हूँ।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


वह भूमिदार
बागेश्वर




अधिशाली अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

1.10(A)

**क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व
वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध**

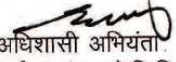
परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि
प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 5.00 किमी०
मोटर मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 2.519 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 5.038
है० भूमि ग्राम बिजोरियाझाल की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)उ० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य
सरकार की भूमि है। ग्राम बिजोरियाझाल की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के
नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण की कार्यवाही वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कर दी
जायेगी।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट




अधिशाली अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण में स्थानीय कारशतकारों की जितनी भी गापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपरन्ध सर्फिल वरी के आधार पर किया जायेगा।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लोनिवि
काकोट


अधिरक्षक अभियंता
निर्माण खंड, लोनिवि
काकोट